158/015

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये
रु.50

भारत

FIFTY RUPEES
Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA N UD

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163240

19
09/12/2015
16368

श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 09/12/2015 आजमगढ़ में **श्री फागू चौहान पुत्र श्री खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट– बद्दोपुर विकास खण्ड – पल्हनी, जनपद–आजमगढ़, उत्तर प्रदेश** द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया 5000.00 (पाँच हजार रूपये मात्र) की राशि है। जिसे वह पुरूषार्थ एवं समाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट **श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकरण, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनो को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों मे प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक

क्रमशः.....1

न० बाकिंग) भागू चौहान S/O स्वर्गीय मन्नू चौहान सा० शेखपुरा - सदर
जि० आजमगढ़

3-12-015

[illegible] प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, आजमगढ़

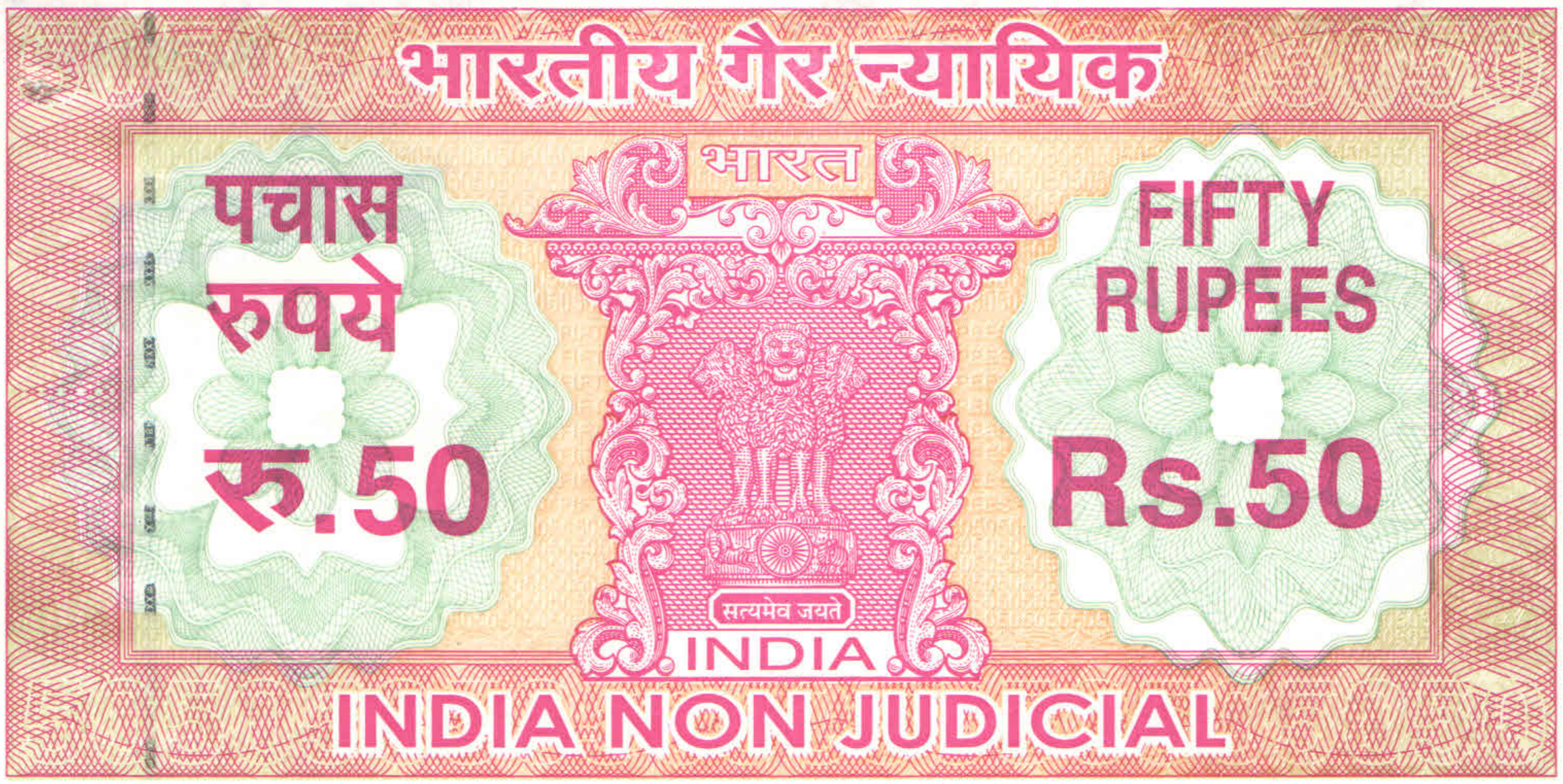

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163241

(1)

ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– रू0 (पाँच हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम हाफिजपुर, पोस्ट–हाफिजपुर विकास खण्ड–पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उ0प्र0 रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय हाफिजपुर होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है।

श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्टः–

(इन्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावलीः–

ट्रस्ट के उद्देश्यः– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों,

क्रमशः.....2

[illegible] [illegible] चौहान [illegible] [illegible] चौहान [illegible] [illegible]
[illegible]

3.12-015

[illegible] प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, [illegible]

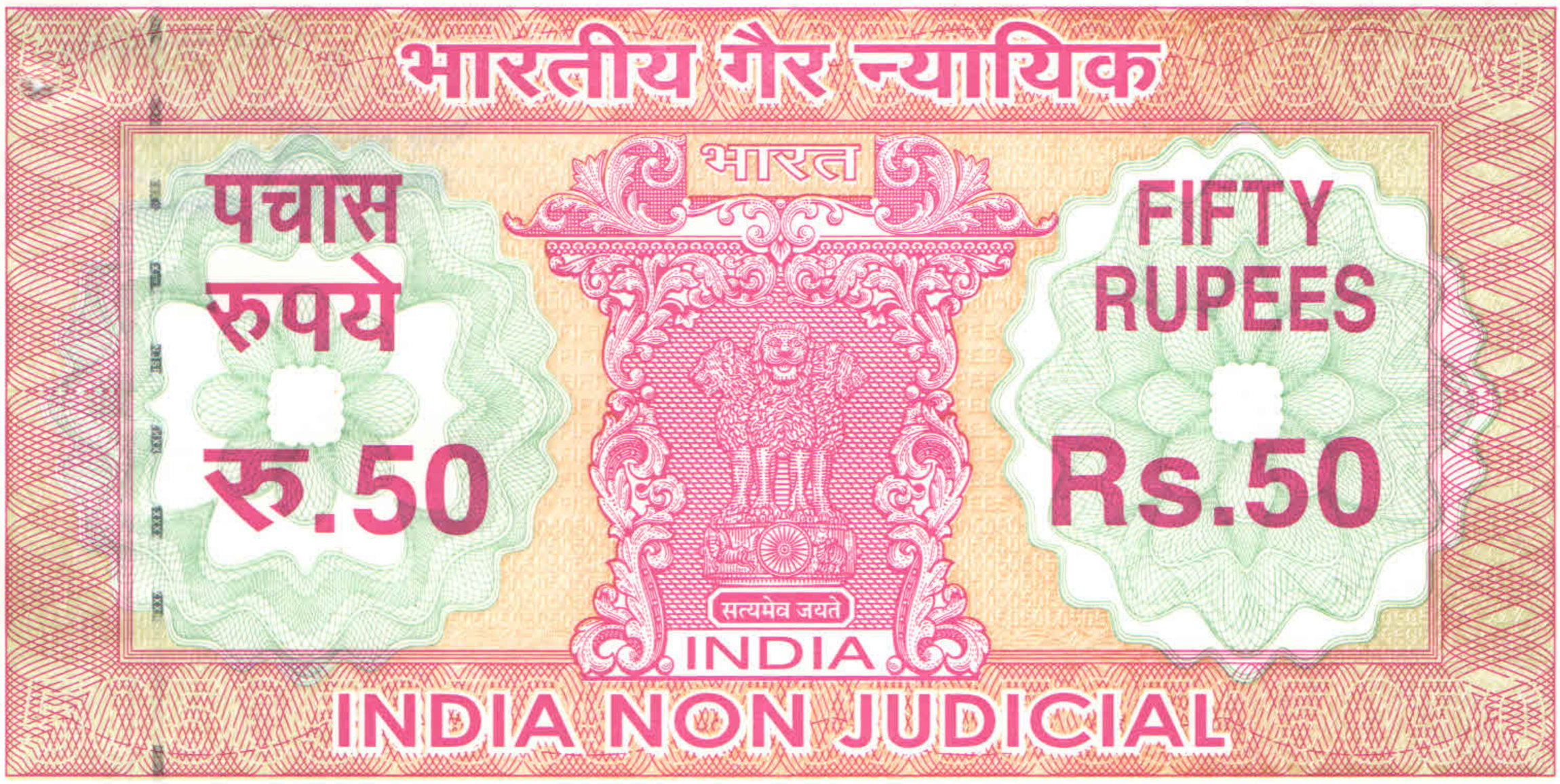

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163242

अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराश्रितों केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन, आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागो, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्थरो, शासन आदि से उन्हे मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।

2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों को संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानी करण एवं जंगलो आदि का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विषय हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा

क्रमशः.....3

नवउत्तरदाता, भागू चौहान S/o स्व० बरपन्त चौहान सा० दीनपुरा सदर
जि० आजमगढ़

5.12.015

विजय प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, वाराणसी

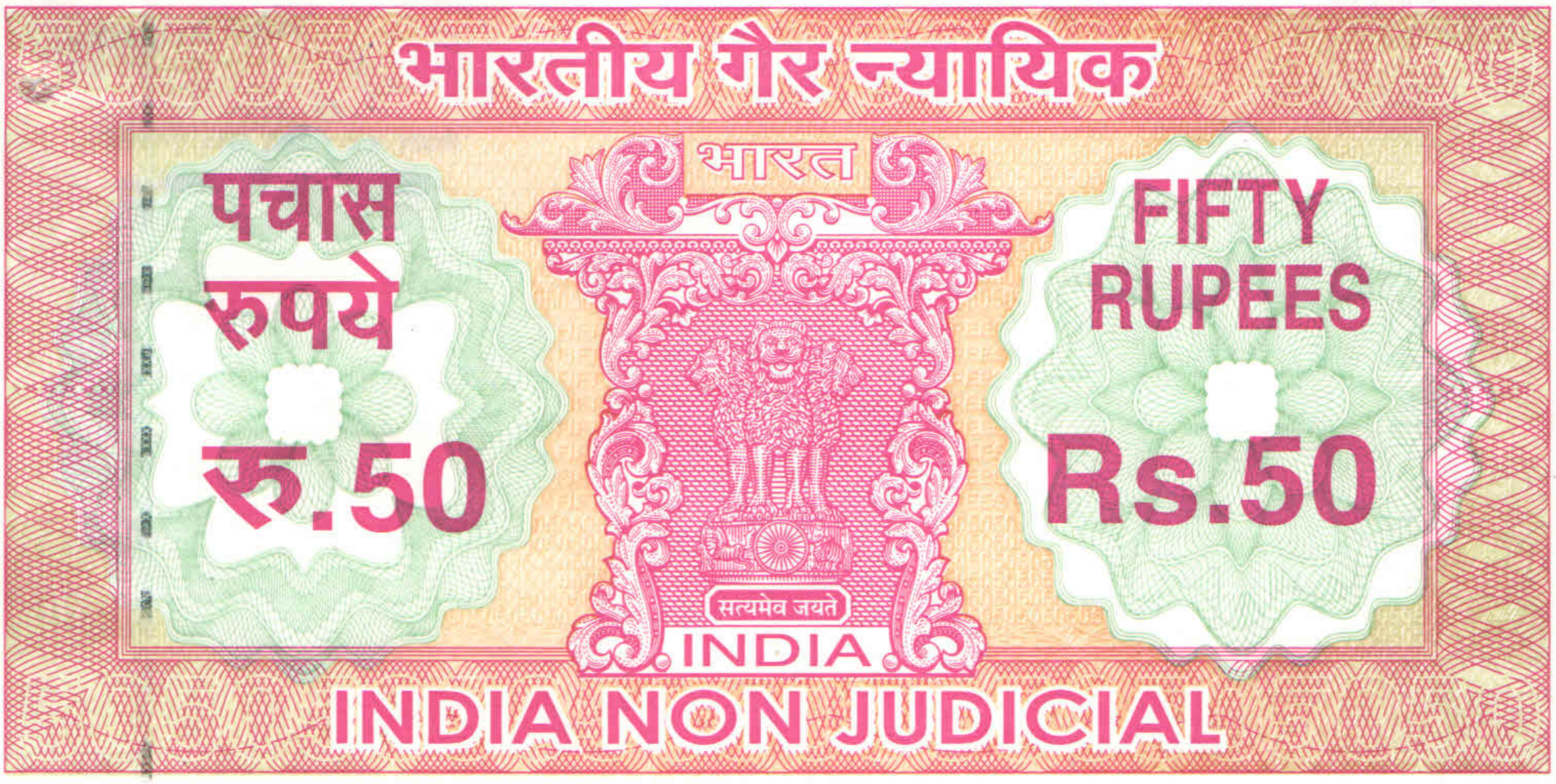

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163243

(3)

10. केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
11. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, ऑपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरैपी आदि मेडिकल कालेंजो एवं इन्जिनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
12. समाज के लोंगो के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
13. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
14. अंधे, गूँगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
15. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कलां, वाणिज्यक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
16. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा की व्यवस्थाओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

क्रमशः.....4

[illegible] 50) [illegible] चौहान S/O स्व० [illegible] चौहान सा० [illegible] सदर
जि० आजमगढ़

3.12-05

[illegible] सिंह ला० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, आजमगढ़

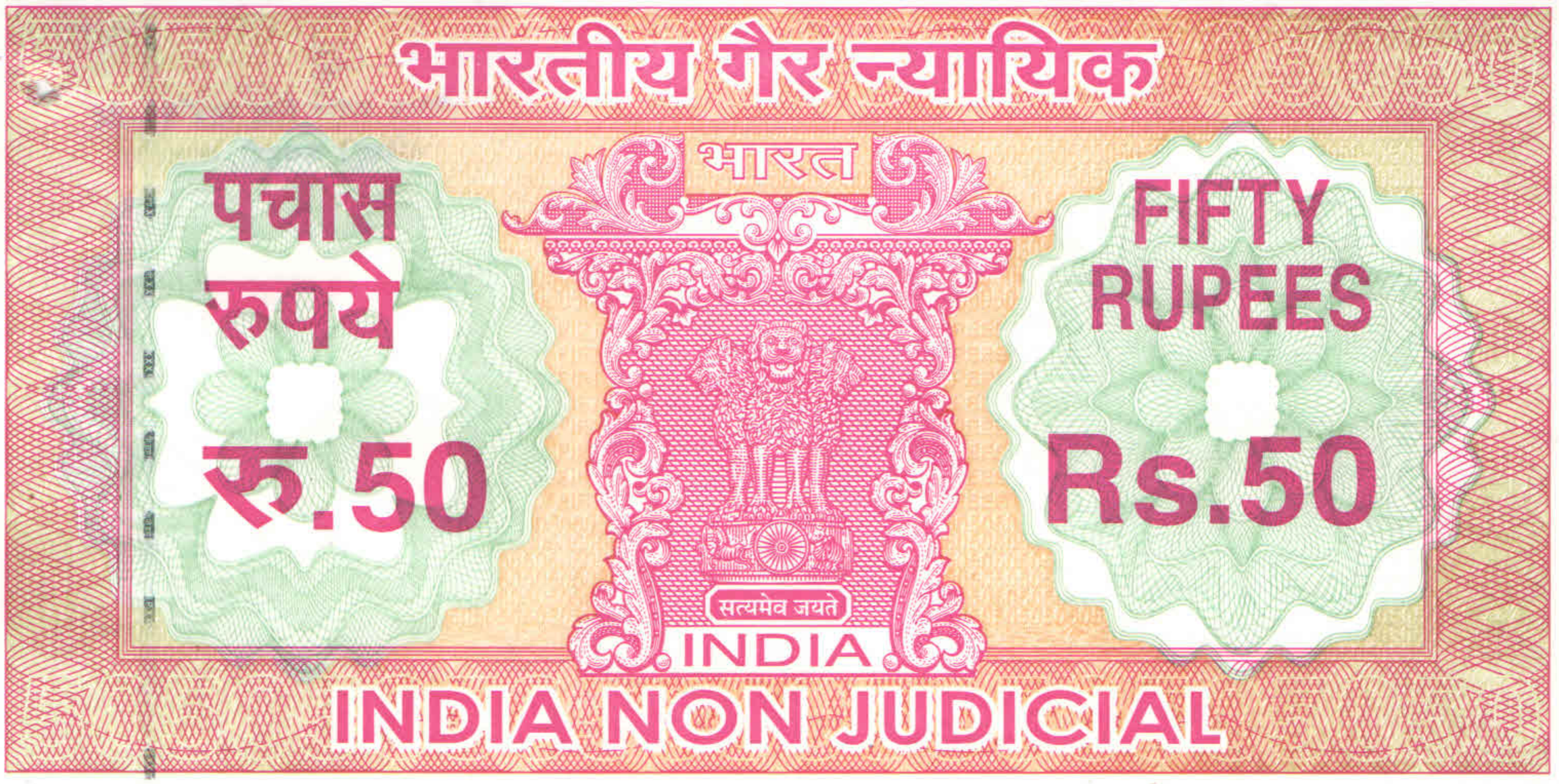

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163244

(4)

17. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन मुद्रण वितरण आदि कर सकना।
18. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेशन आदि आयोजित कर सकना।
19. सिलाई, कढ़ाई बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
20. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेंजो, इन्जीनियरिंग कालेजो को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना, एवं उनकों इस ट्रस्ट समायोजित कर सकना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना, अथवा प्रदान कर सकना।
22. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।
23. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार करना।
24. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।

क्रमशः.....5

[illegible] भागु चौहान ग्रा० स्व० [illegible] चौहान सा० शेखपुरा सदर
जि० आजमगढ़

3/12-04

[illegible] प्रताप सिंह सा० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163245

25. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
26. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।
27. पुस्तक पुस्तिकाए, पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित बिक्रीत कर सकना।
28. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शूल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
29. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अंध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
30. उपभोगता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना, जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
31. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोधार कर सकना

क्रमशः.....6

भागू चौहान

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163246

(6)

32. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
33. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तिय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
34. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इन्जीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
35. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
36. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवाएं वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ण्जा, तालाबों का निर्माण मछली पालन, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।
37. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर सकना।
38. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ती करने हेतु ही व्यय करेगा।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।
40. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना फल एवं औषधी खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

क्रमशः.....7

पत्र 6 पत्रि 50 भागु चौहान 50 स्व० [illegible] चौहान सा० शेखपुरा

[illegible] सदर [illegible] आजमगढ़

3-12-05

विजय प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]

[illegible] कचहरी, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163247

(7)

प्रारम्भिक उपबन्धः—

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **श्री फागू चौहान** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. इस न्यास के न्यासकर्ताओ के नामो का विवरण नीचे दिया गया है।
   प्रथम न्यासकर्ता : श्री फागू चौहान पुत्र श्री खरपत्तू चौहान निवास ग्राम शेखपुरा, पोस्ट बद्दोपुर विकास खण्ड पल्हनी जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
   द्वितीय न्यासकर्ता : श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयनाथ सिंह चौहान 200/77, भावापुर पुष्पांजली नगर करेली, जी0टी0बी0 नगर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
3. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **श्री फागू चौहान** द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो **श्री फागू चौहान** की मृत्यु के पश्चात **श्री उमेश चौहान** इस ट्रस्ट के ट्रस्टीं होगें।
4. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।
5. यदि **श्री फागू चौहान** के मृत्यु के समय उनके लड़के नाबालिक है तो उनकी ओर से उनकी का कार्य तब तक सम्भालेगी जब तक कि बालक का नाम के कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

क्रमशः.....8

[illegible] 63/[illegible] [illegible] चौहान [illegible] स्व० [illegible] चौहान [illegible] [illegible] आजमगढ़

[illegible] 3-12-015

विजय प्रकाश सिंह ला० नं० [illegible]
कोर्टी कचहरी, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये
रु.50

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

FIFTY RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163248

(8)

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरणः–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का प्रदत्त किये गये।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति को व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

क्रमशः.....9

नगरपालिका भागु चौहान गण स्व० बाबूलाल चौहान सा० शेखपुरा
सदर-जिला आजमगढ़

3.12.05

विक्रय प्रसाद लिंक् ला० नं०-
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163249

(9)

5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तांतरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तांतरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तातंरण समस्थ अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

क्रमशः.....10

[illegible] आगू चौहान [illegible] चौहान [illegible]

3-12-015

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163250

(10)

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 7 सदस्य होगें
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझें बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....11

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

3.12.015

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 163587

5- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाए :–

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वहॉ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तर दायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदाई नहीं होगा।

(6) कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व की किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

क्रमशः.....12

नं० 12 मिस्ल

भागू चौहान S/O स्व० सरपत्तू चौहान सा० शेखपुरा
सदर आजमगढ़
3-12-015

विजय प्रताप सिंह ला० नं०-54
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AA 342109

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारी :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत सशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अंतिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसांद प्रयन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांरित/ प्रदान कर सकता है।

क्रमशः.....13

[illegible] 20/

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

3-12-15

[illegible] [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
Rs.20
TWENTY
RUPEES
INDIA NON JUDICIAL

(13)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AA 342110

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देख भाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाए कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों की मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद प्रयन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित एवं प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अंर्न्तगत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

क्रमशः.....14

नं० 771 कि 20 भागु चौहान उ० स्व० बरफन्तु चौहान सा० शेखपुरा

तप सदर-निवि० आजमगढ़

3/12-015

[illegible] प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]

[illegible] कचहरी, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AA 342112

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संसोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहा रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अंतिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उददेश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की सचालन हेतु आवश्यकतानुसार

क्रमशः.....15

नं० 7 अधि 20)

मा० गु० चौहान द्वारा स्व० बरपत्तू चौहान सा० शेखपुरा
त० सदर आजमगढ़

3-12-015

[illegible] प्रताप सिंह ला० पं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, आजमगढ़

नियम/उपनियम बना सकना ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच निर्णायक नियुक्त कर सकना। एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना। प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना। जन सामान्य के कल्याणर्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकारी एवं कर्तव्य का पालन करना।
सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14) बैंक एकाउन्टः–

ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

क्रमशः.....16

-To The Hon'ble Court

Mangu Chauhan S/o Late Bhagwan Chauhan R/o Bhagwan Chauhan Ka Bas Bhawanipura

Tehsil Lachhmangarh.

3.12.015

Ramesh Prasad Singh Adv. Enr.-84
Sikar Rajasthan

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AA 342114

1. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही:–

यदि संस्था/ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में व सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेखविलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

क्रमश.....17

प० 75/ की 20) फागू चौहान S/o स्व० खरपत्तू चौहान सा० शेखपुरा
तह० सदर जिला आजमगढ
(CM)
3-12-015
[illegible] प्रताप सिंह ला० नं०-[illegible]
[illegible] कचहरी, आजमगढ़

यास पत्र

5,000.00	100.00	100	200.00	5,000
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री फागू चौहान

पुत्र श्री खरपत्तू चौहान

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी सा0 शेखपूरा, पो0 बद्दोपुर, तह0 सदर, जिला आजमगढ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/12/2015 समय 4:13PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामसुन्दर यादव
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ
9/12/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री फागू चौहान
पुत्र श्री खरपत्तू चौहान
पेशा कृषि
निवासी सा0 शेखपूरा, पो0 बद्दोपुर, तह0 सदर,
जिला आजमगढ

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
पुत्र श्री जयनाथ सिंह चौहान
पेशा अन्य
निवासी मुह0 200/77, भावापुर, पुष्पांजलि नगर,
इलाहाबाद

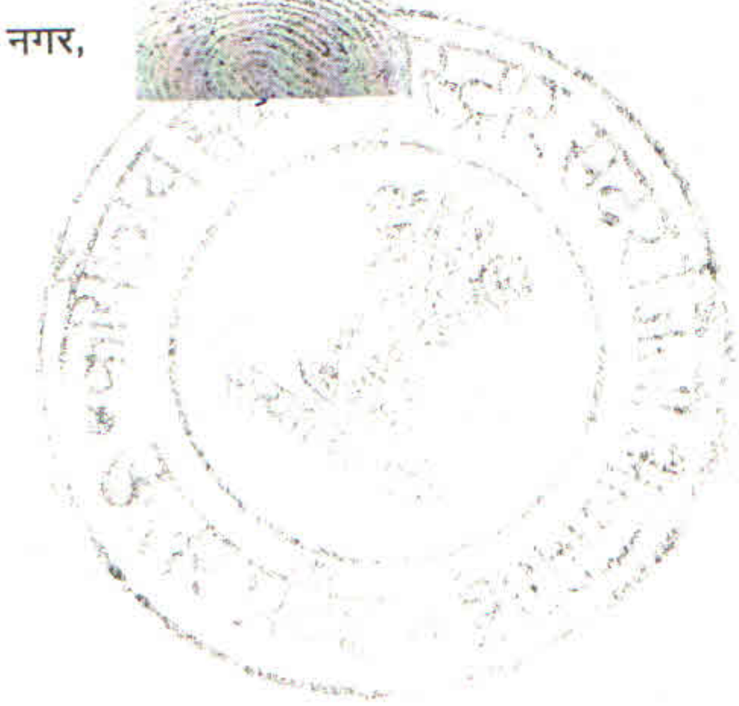

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 402588

(17)

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दें सकता है ले सकता अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार, आग्रह, भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा और दें सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन /सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।

(17) <u>विशेष</u> :–

(क) इस ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट **<u>श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट</u>** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का प्रतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

क्रमशः.....18

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान हरिराम चौहान

बाले चौहान

पेशा कृषि

निवासी सा0 नरॉव, पो0 पिचरी, तह0 सदर, जिला आजमगढ

व रामसुबाष चौहान

पूनवासी चौहान

पेशा कृषि

निवासी सा0 सराय सूदनी, पो0 बडरॉव, तह0 घोसी, जिला मऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामसुन्दर यादव
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ
9/12/2015

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 402589

(18)

(ख) अध्यक्ष /ट्रस्टी यदि उचित समझें तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अर्न्तगत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। **श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्नहित **श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट** उद्देश्य एवं नियमावली एतत् द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्याय विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण :–

नाम :– हरिराम चौहान पुत्र श्री वाले चौहान

पता :– ग्रा० नटाँव, पो० पिचरी, जि० आजमगढ़

नाम :– रामसुबाघ चौहान पुत्र श्री पूनवाली चौहान

पता :– ग्रा० सराय सूदनि पोस्ट बड़ाँराव जिला मऊ

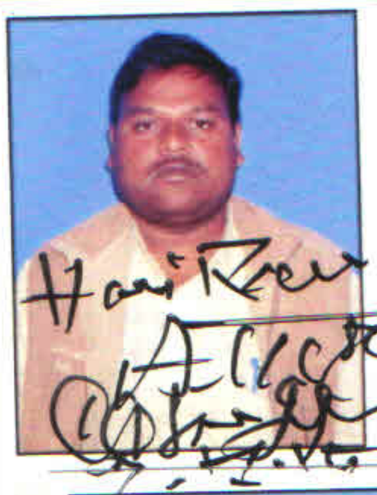

संस्थापक / अध्यक्ष

मसविदाकर्ता

टाइपकर्ता

सतीश कुमार

दिनांक : 9-12-2015

नं० 7 वा/बि/ए फागू चौहान डा० स्व० खरपत्तू चौहान सा० शेखपुरा सदर जि० आजमगढ़

3.12.015

विजय प्रताप सिंह सा० नं०-54
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

न्यासी

Registration No.: 133 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 **फागू चौहान**

खरपत्तू चौहान

सा0 शेखपूरा, पो0 बद्दोपुर, तह0 सदर, जिला आजमगढ

कृषि

0102 **ज्ञानेन्द्र सिंह**

जयनाथ सिंह चौहान

मुह0 200/77, भावापुर, पुष्पांजलि नगर, इलाहाबाद

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 339224

न.इ.ई. [illegible] कीमत- फागू चौहान पुत्र की जरायन्तू चौहान [illegible] पुरा-
[illegible]

अशोक कुमार राय
[illegible]

अशोक कुमार राय ला0 नं0--141
उप निबन्धक कार्यालय सदर,आजमगढ

गवाह

Registration No.: 133 Year : 2015 Book No. : 4

W1 हरिराम चौहान
बाले चौहान
सा0 नरॉव, पो0 पिचरी, तह0 सदर, जिला आजमगढ
कृषि

आज दिनांक **09/12/2015** को
बही सं. **4** जिल्द सं. **158**
पृष्ठ सं. **245** से **282** पर कमांक **133**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

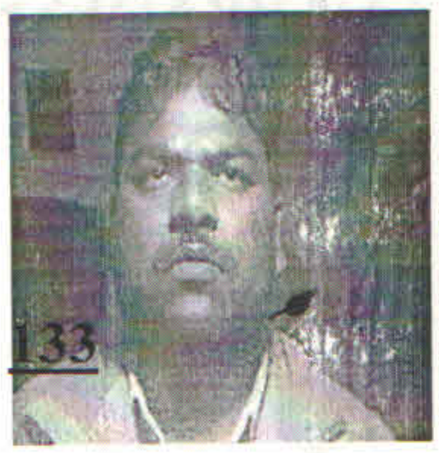

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

W2 रामसुबाष चौहान
पूनवासी चौहान
सा0 सराय सूदनी, पो0 बडरॉव, तह0 घोसी, जिला मऊ
कृषि

रामसुन्दर यादव
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ
9/12/2015

न.इ.ई. [illegible] कीमत- फागू चौहान पुत्र की जरायन्तू चौहान [illegible] पुरा-
[illegible]

अशोक कुमार राय
[illegible]

अशोक कुमार राय ला0 नं0--141
उप निबन्धक कार्यालय सदर,आजमगढ

गवाह

Registration No.: 133 Year : 2015 Book No. : 4

W1 हरिराम चौहान हरिराम चौहान
आज दिनांक **09/12/2015** को
बाले चौहान
बही सं. **4** जिल्द सं. **158**
सा0 नरॉव, पो0 पिचरी, तह0 सदर, जिला आजमगढ
पृष्ठ सं. **245** से **282** पर कमांक **133**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

W2 रामसुबाष चौहान रामसुबाष चौहान
पूनवासी चौहान
सा0 सराय सूदनी, पो0 बडरॉव, तह0 घोसी, जिला मऊ
कृषि

रामसुन्दर यादव
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ
9/12/2015

137/18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JU

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 454736

पूरक ट्रस्ट डीड

यह अभिलेख आज दिनांक 06.09.2018 को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री फागू चौहान पुत्र स्व0 श्री खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट– बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश तथा समान्य न्यासी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयनाथ सिंह चौहान निवास 200/77 , भावापुर पुष्पांजली नगर करेली, जी0 टी0 वी0 नगर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा निष्पादित किया गया है।

हम प्रथम पक्ष द्वारा एक किता का ट्रस्ट डीड श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्था ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट– हाफिजपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से पंजीकृत कराया गया है, जो उप निबन्धक कार्यालय सदर, आजमगढ़ में दिनांक 09/12/2015 को बही संख्या–4 जिल्द संख्या– 158 पृष्ठ संख्या– 245 से 282 क्रमांक 133 पर पंजीकृत है, जिसमें लेखन त्रुटिवश ट्रस्ट के प्रारम्भिक उपबन्ध में निम्न तथ्य छुट गये थे, जिन्हें लिखना आवश्यक है।

(1) यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री फागू चौहान पुत्र श्री खरपत्तू चौहान निवास ग्राम– शेखपुरा, पो0– बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाये तो श्री फागू चौहान की मृत्यु के पश्चात श्री उमेश चौहान पुत्र श्री फागू चौहान निवास ग्राम– शेखपुरा, पो0– बद्दोपुर, विकास खण्ड – पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के इस ट्रस्ट के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होगें।

(2) इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य सामान्य न्यासी ट्रस्टी कहलायेगें।

(3) ट्रस्ट एवं उससे संचालित अन्य संस्थाओ का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोल सकता है तथा किसी भी बैंक से ऋण या लोन ले सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

क्रमशः 2

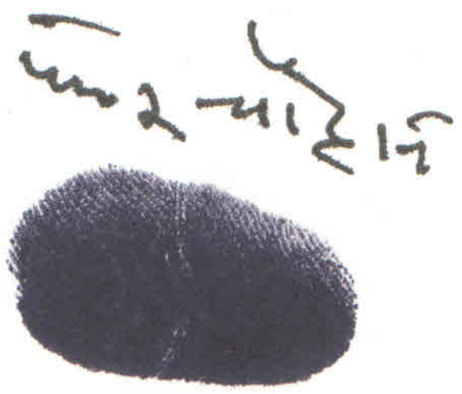

62/2020

आगे बैठक → 6 पक्ष बैठक लेकर

4/9/18

कार्यालय कोषागार
01 AUG 2018
आजमगढ़

हरिनारायण
सहा० कोषागार
कोषागार आजमगढ़

Name Mr. Prakash Srivastav
S/o Late. Ram Adhar
Village- Chak Gorya Post- Chak Inami
Tah- Sadar. Dist. Azamgarh.
Mo 8392980810

Prakash Srivastav
6.9.18

Name Satish Kumar Bharaj S/o Indrajit Ram
Village- Mitrasen pur, Po- Mohamdalla
Tahsil- Sadar, Dist- Azamgarh
Mo- 7267815730

6.9.18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 454737

(क) इस ट्रस्ट से संचालित होने वाले विद्यालय के प्रबन्ध समिति में विभागीय/शासकीय आवश्यकतानुसार शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(ख) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

क्रमशः 3

फागू चौहान

६५/१००

जानू चौहान S/o अपेन्दु चौहान शेखपुरा एम०

५/९/१८

PANKAJ UPADHYAY
K.No. 3 SADAR AZH

कार्यालय कोषागार
31 AUG 2018
हस्ताक्षर
सहा० रोकड़िया
कोषागार-आजमगढ़

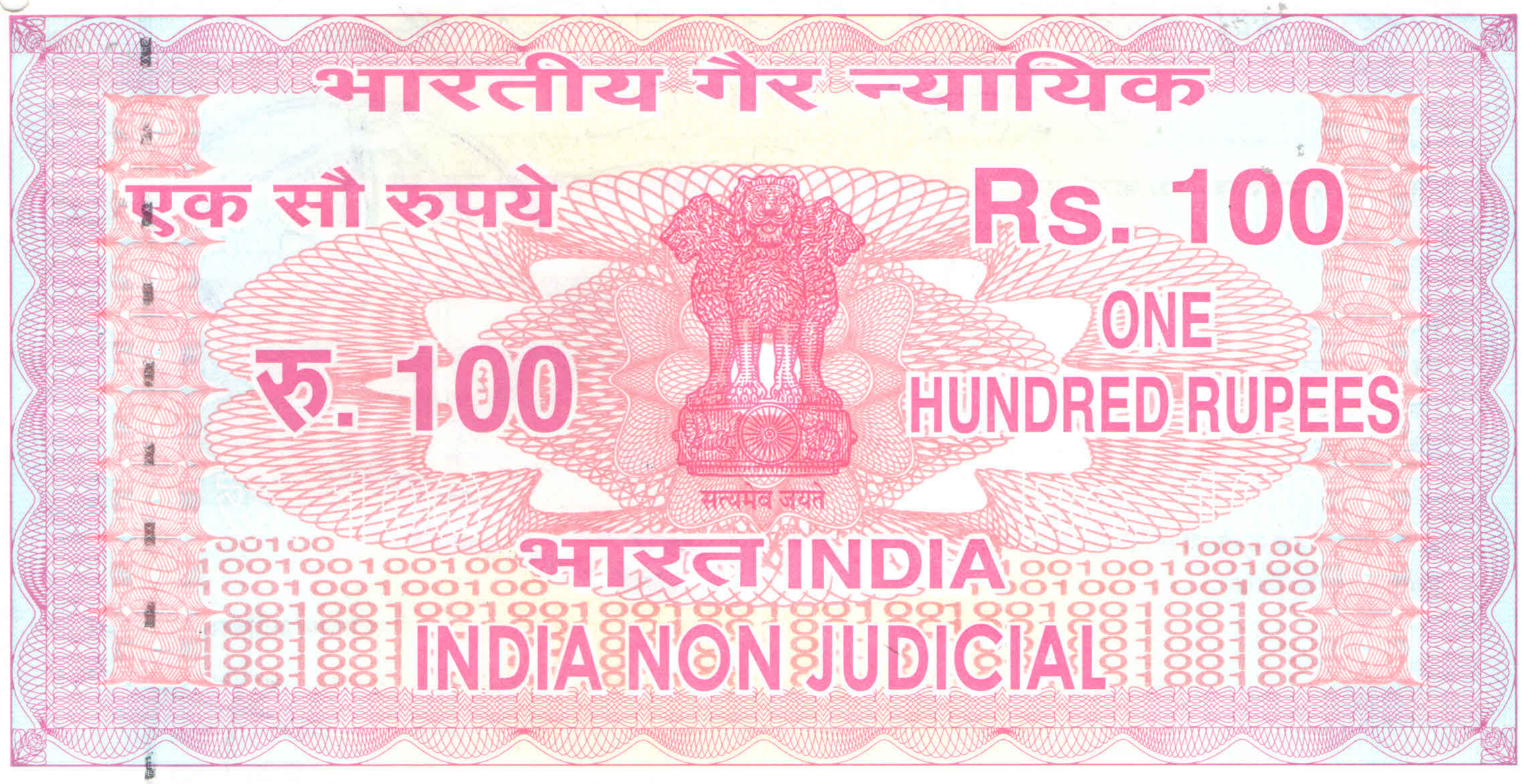

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 454414

(ग) संस्था.. द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(घ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

क्रमशः 4

स0 10 को 100 फागू चौहान पुत्र स्व० खरपत्तू चौहान ग्रा० शेखपुरा

न्यास पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 540

फागू चौहान

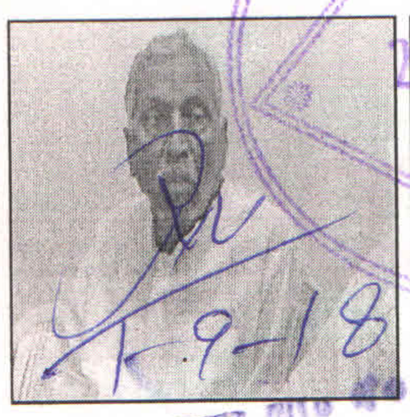

श्री फागू चौहान ,
पुत्र श्री स्व०खरपत्तू चौहान
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा० शेखपुरा पो० बद्दोपुर तह० सदर जिला आजमगढ।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 06/09/2018 एवं 12:41:25 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
06/09/2018

पवन कुमार पाण्डेय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

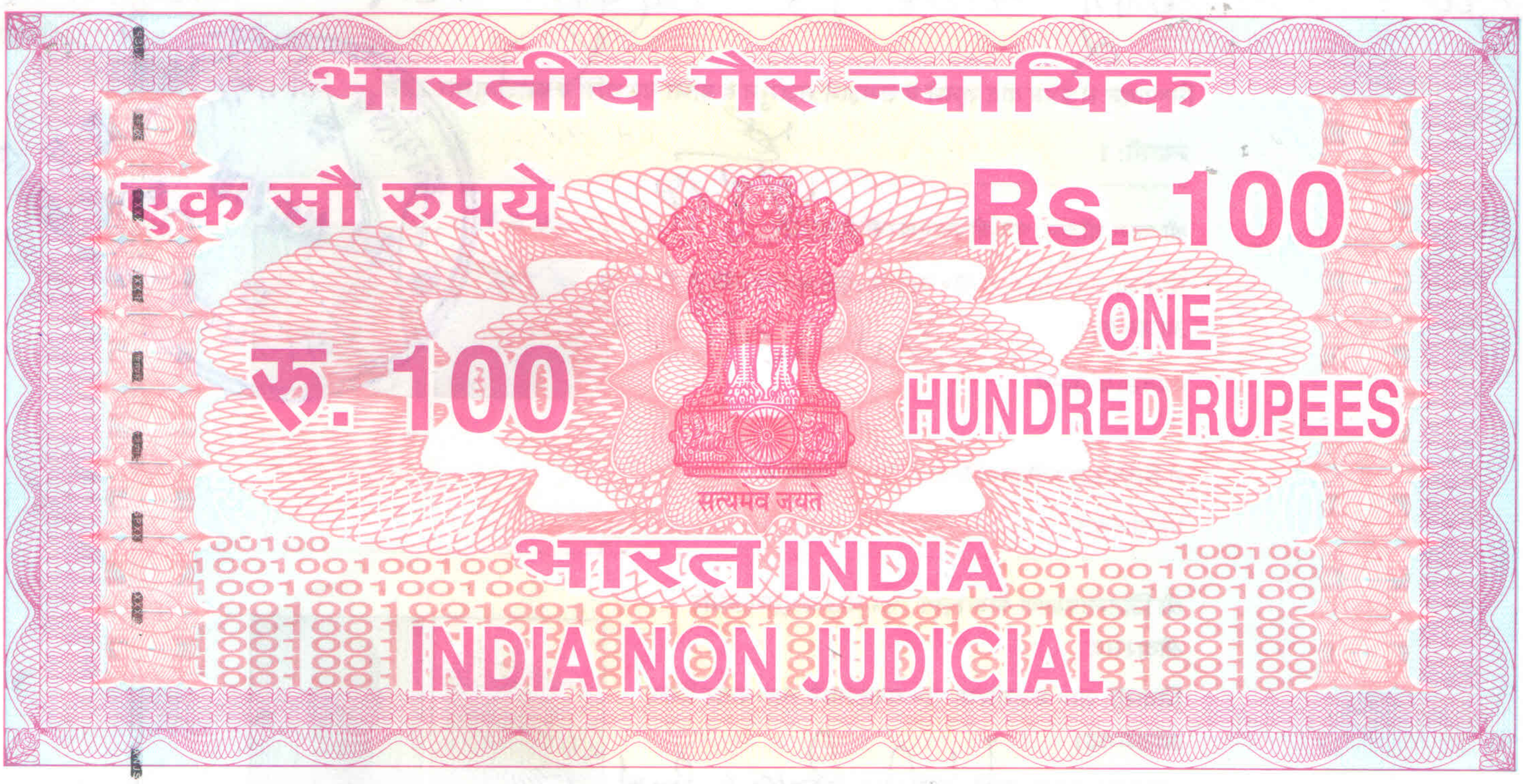

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 454738

(ड़) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(च) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः 5

9/6/2018 पुष्टि विलेख 58.59

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री फागू चौहान, पुत्र श्री स्व०खरपत्तू चौहान

निवासी: सा० शेखपुरा पो० बद्दोपुर तह० सदर जिला आजमगढ।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जितेन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव , पुत्र श्री स्व० रामअधार श्रीवास्तव

निवासी: सा० चकगोरया पो० चकइनामी तह० सदर जिला आजमगढ।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सतीश कुमार भारती , पुत्र श्री इन्द्रजीत

निवासी: सा० मित्रसेनपुर पो० मुहम्मदल्ला तह० सदर जिला आजमगढ।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़

प्रवन कुमार पाण्डेय
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 454735

(छ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

एक किता पूरक ट्रस्ट डीड विलेख लिख दिया कि सनद रहे वक्त पर काम आवे।

श्री फागू चौहान
संस्थापक / अध्यक्ष
श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्था ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट– हाफिजपुर विकास खण्ड–पल्हनी जनपद–आजमगढ़
उत्तर प्रदेश।

हस्ताक्षर गवाहान

1– Jitendra Prakash Srivastava S/o Late Ram Adhar Village. Chak Gaura Po. Chak Inami Teh. Sadar Distt– Azamgarh.

2– Satish Kumar Bharti S/o Indrajit Ram Vill-Mitrasenpur, Po-Mohandallen T-Sadar, Distt-Azamgarh

दिनांक:–

टाईपकर्ता : – सतीश कुमार भारती

9/6/2018 http://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport_html_60

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 185 के पृष्ठ 245 से 254 तक क्रमांक 137 पर दिनाँक 06/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय

उप निबंधक : सदर

आजमगढ़

06/09/2018

प्रिंट करें

(१)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूरक ट्रस्ट डीड

AC 496796

श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट

ग्राम व पोस्ट हाफिजपुर विकास खण्ड–पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश

यह अभिलेख आज दिनांक 25.07.2019 को न्यास कर्ता मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री फागू चौहान पुत्र स्व0 श्री खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट–बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के द्वारा निष्पादित किया गया हैं।

विदित हो कि श्री फागू चौहान हम प्रथम पक्ष द्वारा एक किता ट्रस्ट डीड श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट हाफिजपुर विकास खण्ड–पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से पंजीकृत कराया गया हैं, जो उप निबन्धक कार्यालय सदर आजमगढ़ में दिनांक 09.12.2015 को बही संख्या–4 जिल्द संख्या–158 पृष्ठ संख्या– 245 से 282 क्रमांक 133 पर पंजीकृत हैं के न्यास कर्ता मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष हैं।

उक्त के अतिरिक्त पूरक ट्रस्ट डीड बही संख्या 4 जिल्द संख्या 185 के पृष्ठ 245 से 254 तक क्रमांक 137 पर दिनांक 06.09.2018 तथा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 190 के पृष्ठ 261 से 270 तक क्रमांक 48 पर दिनांक 25.04.2019 अंकित है, को भी निष्पादित किया गया हैं।

वर्तमान में श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के न्यासकर्ता संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री फागू चौहान पुत्र श्री खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट–बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भविष्य में उक्त संस्थान जिसे श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के नाम से जाना जाता हैं के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर रहने के लिए इच्छुक नही हैं।

अतएव इस संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर श्री फागू चौहान द्वारा बने रहने के अनिच्छुक होने के कारण वे संस्थान के उक्त पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। भविष्य में अब श्री उमेश चौहान पुत्र श्री फागू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट–बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश संस्थान के मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेगें।

इस तौर पर यह विलेख श्री फागू चौहान उक्त के उक्त पद से त्याग पत्र तथा नए मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री उमेश चौहान के नियुक्ति के रूप में निष्पादित हैं।

फागू चौहान

32/500 खरपतू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट हाजीपुर आजमगढ़

24/7/19

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

कोषागार कार्यालय
05 JUL 2019
आजमगढ़

जयप्रकाशराय स० केशव राय
सोधन पट्टी कन्धरापुर आजमगढ़
9198740354

Fato Attested.
Jai Prakash
25/7/19

मनोज कुमार चौहान कुल लाल
बिहारी सा० शोधपुर। पो० बड़दोकी
तह सदर आजमगढ़
7607657128

Fato Attested.
Rajmaj Kumar
28/7/19

उत्तर प्रदेश

(२)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 887207

83/100 कम 32

24/7/19
कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 887208

34/100 नं 32

आवेदन सं०: 201900966007395

24/7/19

कोमल राम ल...42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

कार्यालय कोषागार 12 JUL 2019 आजमगढ़

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 95 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 540

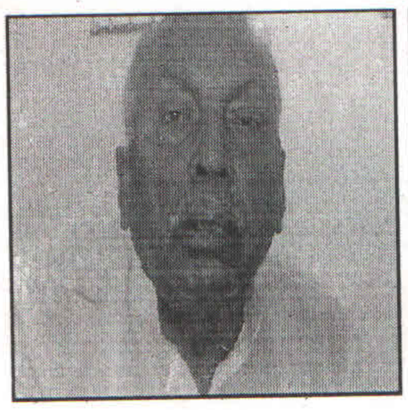

श्री फागू चौहान ,
पुत्र श्री स्व० खरपत्तू चौहान
व्यवसाय :. अन्य
निवासी: सा० शेखपुरा पो० बद्दोपुर त० सदर आजमगढ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/07/2019 एवं 11:17:27 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
25/07/2019

खुमार मोहम्मद हूद
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 887206

35/100 जमा 32 पुष्टि विलेख 58,59

आवेदन सं॰: 201900966007395

24/7/19

कोमल राम ला०न०-42

बही स॰: 4 रजिस्ट्रेशन स॰: 95 वर्ष: 2019

कार्यालय कोषागार 12 JUL 2019 आजमगढ़

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री फागू चौहान, पुत्र श्री स्व॰ खरपत्तू चौहान

निवासी: सा॰ शेखपुरा पो॰ बद्दोपुर त॰ सदर आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

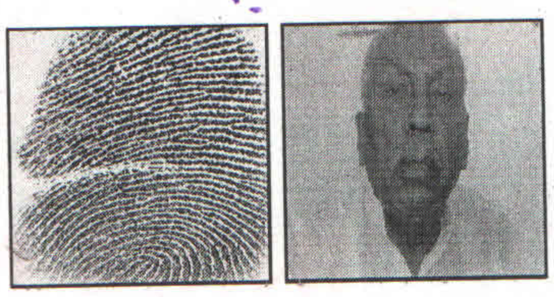

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जयप्रकाश राय , पुत्र श्री केशव राय

निवासी: सा॰ सोधानपट्टी पो॰ कन्धरापुर त॰ सगडी आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

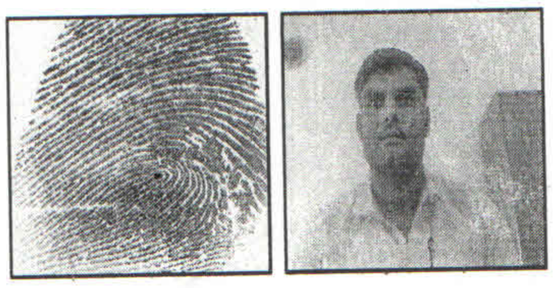

पहचानकर्ता : 2

श्री मनोज कुमार चौहान , पुत्र श्री लाल बिहारी चौहान

निवासी: सा॰ शेखपुरा पो॰ बद्दोपुर त॰ सदर आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़

खुमार मोहम्मद हूद
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 887205

86/100 खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्थान ट्रस्ट धर्मजीत [illegible]

आवेदन सं०: 201900966007395

24/7/19

कोमल राम ला०न०-42
कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़

कार्यालय कोषागार
12 JUL 2019
आजमगढ़

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 193 के पृष्ठ 263 से 272 तक क्रमांक 95 पर दिनाँक 25/07/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़
25/07/2019

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

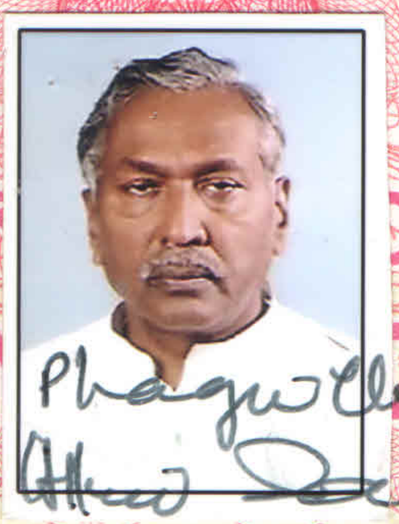

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 631980

पूरक ट्रस्ट डीड

यह अभिलेख आज दिनांक 25/04/2019 को मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष श्री फागू चौहान पुत्र स्व0 श्री खरपत्तू चौहान निवासी ग्राम–शेखपुरा, पोस्ट– बद्दोपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश तथा समान्य न्यासी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयनाथ सिंह चौहान निवास 200/77 , भावापुर पुष्पांजली नगर करेली, जी0 टी0 वी0 नगर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा निष्पादित किया गया है।

हम प्रथम पक्ष द्वारा एक किता का ट्रस्ट डीड श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्था ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट– हाफिजपुर, विकास खण्ड– पल्हनी, जनपद– आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से पंजीकृत कराया गया है, जो उप निबन्धक कार्यालय सदर, आजमगढ़ में दिनांक 09/12/2015 को बही संख्या–4 जिल्द संख्या– 158 पृष्ठ संख्या– 245 से 282 क्रमांक 133 पर पंजीकृत है, जिसमें लेखन त्रुटिवश ट्रस्ट के प्रारम्भिक उपबन्ध में निम्न तथ्य छुट गये थे, जिन्हें लिखना आवश्यक है।

(1) इस विलेख में अन्यथा कहे होने के बावजूद, न्यास हमेशा के लिए अखण्डनीय रहेगा।

(2) इस न्यास के द्वारा किये गए कार्यो का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचना रहेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यास द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के हितों की पूर्ति न हो।

(3) भविष्य में न्यास के विघटन की दशा में न्यास के द्वारा अर्जित की गयी चल अचल समपत्तियो को किसी दूसरे न्यास जिसके उद्देश्य समान हो, को स्थानांतरित किया जायेगा।

(4) न्यास की निधि एवं संपत्तियों का उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए।

क्रमशः 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 631981

श्री फागू चौहान
संस्थापक / अध्यक्ष
श्री खरपत्तू चौहान शिक्षण संस्था ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट– हाफिजपुर विकास खण्ड–पल्हनी जनपद–आजमगढ़
उत्तर प्रदेश।

Jitendra Prakash
Albu Saeemd
25.4.19

हस्ताक्षर गवाहान

1– Jitendra Prakash Srivastava S/o Late Ram Adhar
Vill. Chak Gorya
Pr. Chak Inami. Distt. Azamgarh
तहसील-सदर 9450876240

2–

दिनांक:– संजय यादव S/o मनरूप यादव
सरवपुरा पोस्ट कद्दोपुर
जिला आजमगढ़ सदर
7753013433
फागू चौहान

टाईपकर्ता :– सतीश कुमार भारती

Sanjay Yadav
Albu Saeemd
25.4.19

325/1001

30/3/19

01 MAR 2019

सदर आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 631982

326/100

आवेदन सं०: 201900966004383

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 48 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 540

श्री फागू चौहान ,
पुत्र श्री स्व० खरपत्तू चौहान
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा० शेखपूरा पो० बद्दोपुर, तह० सदर, आजमगढ

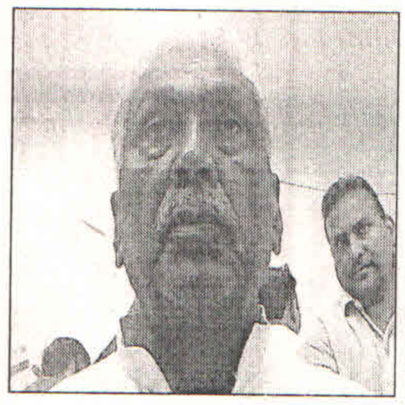

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/04/2019 एवं 03:09:21 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
25/04/2019

उपेन्द्र नाथ मिश्र
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 631983

327/100 [illegible]

आवेदन सं०: 201900966004383

30/3/19

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 48 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री फागू चौहान, पुत्र श्री स्व० खरपत्तू चौहान

निवासी: सा० शेखपूरा पो० बद्दोपुर, तह० सदर, आजमगढ

व्यवसाय: अन्य फागू चौहान

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री जितेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री रामअधार

निवासी: सा० चकगोरया पो० चकइनामी, तह० सदर, आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2 Sfendra Prakash Srivastava

श्री संजय यादव, पुत्र श्री मनरूप यादव

निवासी: सा० शेखपूरा पो० बद्दोपुर, तह० सदर, आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

संजय यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़

उपेन्द्र नाथ मिश्र
निबंधक लिपिक

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

500

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 074498

प्र 225 को 500/ फागु चौहान S/o खरपल्लू चौहान जा० शेखपुरा

आवेदन सं०: 201900966004383

23/4/19

कोषागार कार्यालय
12 APR 2019
आजमगढ़

हरिनरायन
सहा० रोकड़िया
कोषागार-आजमगढ़

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 190 के पृष्ठ 261 से 270 तक क्रमांक 48 पर दिनाँक 25/04/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़
25/04/2019

प्रिंट करें